छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

क्रमांक एफ 5–81/2021/17–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक, 18/6/2021
प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– कोविड –19 टीकाकरण के संबंध में ।

संदर्भः– (1) इस विभाग का पत्र क्रमांक 190/पीए/एसीसी/2021 दिनांक 03.04.2021
(2) पत्र क्र. 01/निस/प्रस/स्वा./2021 दिनांक 01.05.2021
(3) क्र. 1033/748/2021/1/5 दिनांक 05.052021
(4) पत्र क्र. 2108/749/सा/2021/17–1 दिनांक 05.05.2021
(5) क्र. 5–81/कोर्ट 2021/17–1 दिनांक 07.052021
(6) आदेश क्र. 5–81/कोर्ट 2021/17–1 दिनांक 09.052021
(7) आदेश क्र. 5–18/कोर्ट 2021/17–1 दिनांक 15.052021
(8) आदेश क्र. 5–81/कोर्ट 2021/17–1 दिनांक 10.052021

––0––

दिनांक 21 जून 2021 से सभी वर्गों के लिये कोविड–19 का टीका भारत सरकार द्वारा राज्यों को निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा । भारत सरकार से प्राप्त गाईडलाईन के अनुसार अनुसार 21 जून 2021 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा प्रदाय किये गये समस्त टीकों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

1. हेल्थ केयर वर्कर
2. फ्रंटलाईन वर्कर
3. 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक
4. वे नागरिक जिनकी द्वितीय डोज़ लगाने का समय आ गया है।
5. 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक
6. भारत सरकार ने 18 वर्ष से अधिक के आयु के नागरिकों के बीच प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने की छूट राज्य सरकारों को दी है।

क्योंकि भारत सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लिये प्राथमिता क्रम निर्धारित करने की छूट राज्य सरकार को दी है, इसलिये अतः भारत सरकार की गाईडलाइन के अंतर्गत 18 से 44 आयु वर्ग में राज्य सरकार के आदेश क्र. 5–81/कोर्ट 2021/17–1 दिनांक 09.052021 के द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिये निर्धारित प्रतिशत यथावत लागू रहेगा ।

क्योंकि अब समस्त टीका भारत सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है इसलिये राज्य में पृथक से टीकाकरण पोर्टल संचालित करने की आवश्यकता नही रह गई है। दिनांक 21 जून 2021 से केन्द्र सरकार के चैनल तथा राज्य सरकार के चैनल का विभेद समाप्त हो जाएगा और सभी आयु वर्गों का टीकाकरण कोविन पोर्टल से ही किया जायेगा ।

Scanned with CamScanner

कोविन पोर्टल में अंत्योदय, बीपीएल, एवं एपीएल की एंट्री करने की व्यवस्था है । निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इन वर्गों के टीकाकरण की एंट्री कोविन पोर्टल में की जाए जिससे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि इन वर्गों के कितने व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है।

सभी कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति, जिनके पास इंटरनेट एवं मोबाइल डिवाइस की सुविधा नहीं है उन्हें ऑनसाइट पंजीयन एवं चॉयस सेंटर आदि के माध्यम से पंजीयन कराने की कराने की सहूलियत प्रदान करें जिससे उनके टीकाकरण में कोई कमी न आए ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वा.एवं परि.कल्याण विभाग

पृ.एफ 5–81/ 2021/17–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक, 18/6/2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3. मुख्य सचिव के उप सचिव
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ0ग0 शासन
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 रायपुर
6. समस्त संभागीय आयुक्त छ0ग0
7. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 रायपुर
8. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ0ग0 रायपुर
9. प्रबंध संचालक, सीजीएमएससी छ0ग0 रायपुर
10. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छ0ग0 रायपुर
11. संचालक, परिवार कल्याण छ0ग0 रायपुर
12. संचालक, चिकित्सा शिक्षा छ0ग0 रायपुर
13. संचालक, आयुष, छ0ग0 रायपुर
14. आयुक्त, जनसंपर्क को व्यापक प्रचार–प्रसार के अनुरोध के साथ
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
17. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य जिला अस्पताल, छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Scanned with CamScanner